

राजस्थान अधविकृता संरक्षण वधियक, 2023 संशोधति रूप में पारति

चर्चा में क्यों?

21 मार्च, 2023 को राजस्थान के वधि एवं वधिकि कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि राज्य वधानसभा ने अधविकृताओं के वरिद्ध हसिा को रोकने के लयि राजस्थान अधविकृता संरक्षण वधियक, 2023 को संशोधति रूप में पारति कर दयिा है, जसिमें अधविकृताओं द्वारा दयिा गए महत्त्वपूर्ण सुझावों को शामिल कयिा गया है।

प्रमुख बदि

- शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि राजस्थान अधविकृता संरक्षण वधियक, 2023 राज्य में करतव्यों के नरि्वहन करने के दौरान कसिी अधविकृता के वरिद्ध हमला, घोर उपहति, आपराधकि बल और आपराधकि अभतिरास को रोकने के लयि लाया गया है। इस कानून से अधविकृताओं को हसिा के वरिद्ध संरक्षण मलिंगा।
- उन्होंने बताया कि राजस्थान पहला राज्य है जहाँ अधविकृताओं के संरक्षण की दशिा में ऐसा कानून लाया गया है। अधविकृताओं के कल्याण के लयि राज्य सरकार द्वारा प्रतविर्ष 5 करोड़ रुपए बार काउंसलि को दयिा जाते हैं।
- वधियक के प्रावधानों को अधविकृताओं से वसितृत चर्चा के बाद तैयार कयिा गया है। इस संबंध में वर्ष 2019 में प्रथम बैठक की गई थी, जसिके बाद कई अनौपचारकि बैठक कर वधियक को तैयार कयिा गया।
- यद कि कोई अपराधी कसिी अधविकृता की संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है तो न्यायालय द्वारा नरिधारति कषतपूरति की राशा उससे वसूल कर पीड़ति अधविकृता को देने का प्रावधान कयिा गया है। कषतपूरति की इस राशा की त्वरति वसूली भू-राजस्व के बकाया की तर्ज पर की जाएगी।
- अधविकृताओं द्वारा इस कानून का दुरुपयोग करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान भी कयिा गया है। साथ ही, राजस्थान अधविकृता संरक्षण वधियक, 2023 प्रारूप के खंड 9 को वल्लिपति कर दयिा गया है।